न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2709–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 15/अपील/09–10.

रंजीत सिंह आ. सरदार माछे सिंह
प्रो. चंदनपुरा पार्क, निवासी ई–3/16
अरेरा कॉलौनी भोपाल
द्वारा मुख्तयारआम
बलवंत सिंह पुत्र सरदार माछे सिंह
निवासी ई–3/16
अरेरा कॉलौनी भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– अब्दुल कादिर पुत्र स्व. याकूब पत्रावाला
निवासी इंदिरा दर्शन, प्लाट नं. 2/1403
लोखण्डवाला, अंधेरी, मुंबई
द्वारा मुख्तयारआम
आमिर खान पुत्र एम.ए. खान
निवासी एच.ए. 22 एन.आर.आई. कॉलौनी
व्ही.आई.पी. रोड, कोहेफिजा, भोपाल

2– रामरतन आ. हीरालाल खत्री
निवासी ग्राम सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, गोहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के नामांतरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 4–3–79 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष दिनांक 30–6–12 को 32 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 15/अपील/09–10 दर्ज कर दिनांक 29–5–2013 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर विलम्ब क्षमा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखत एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के पिता याकूब पत्रावाला ने ग्राम सुल्तानपुर स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा कमांक 478 रकबा 87.66 एकड़ अनावेदक कमांक 2 रामरतन एवं एक अन्य रविशंकर को दिनांक 9–4–73 को विकय की गई थी, और उसके मुख्त्यारआम सरदार माछे सिंह द्वारा रकम प्राप्त की गई थी । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 से उक्त भूमि खसरा नंबर 478 में से रकबा 44.00 एकड़ पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1–7–88 को रकबा 12.50 एकड़ भूमि कय की गई थी एवं 31.50 एकड़ भूमि आवेदक के नाम मौरूसी काश्तकार के रूप में संहिता की धारा 190 के अंतर्गत नामांतरित होकर राजस्व अभिलेख दर्ज हुई, जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 1 को थी । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक ने स्वयं को स्व. याकूब पत्रावाला वसीयती उत्तराधिकारी बताया है, किन्तु उनके द्वारा न तो वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है, और न ही यह बताया गया है कि स्व. याकूब पत्रावाला की मृत्यु किस दिनांक को हुई । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर संहिता की धारा 47 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता की धारा 47 में विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में मुख्यत्यारनामा संलग्न है, जो दिनांक 12–6–2009 को पंजीकृत हुआ है, उक्त दिनांक को अब्दुल कादिर भूमिस्वामी नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुख्त्यारनामा

केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिस दिनांक 29–5–2013 को सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया गया है, उस दिनांक को मुख्त्यारनामा प्रभावशील नहीं था, और मुख्यत्यारआम को प्रकरण में पैरवी करने का अधिकार नहीं था । यह भी कहा गया कि आवेदक को विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, संहिता की धारा 47 के में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 27–5–74 को मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया है, जिसमें भूमि विक्रय किये जाने का उल्लेख है, और उस पर सरदार माछे सिंह के हस्ताक्षर है । इस आधार पर कहा गया कि नामांतरण पंजी पर पूर्व भूमिस्वामी याकूब पत्रावाला की ओर से आवेदक के पिता सरदार माछेसिंह की ओर से हस्ताक्षर किये गये थे, जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 1 को थी । ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि अनावेदक कमांक 1 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी पूर्व से रही है ।

तर्कों के समर्थन में 2011 आर.एन. 310, 2007 (2) एम.पी. वीकली नोट 25, 2006 आर.एन. 135 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुख्त्यारआम द्वारा एक बार वकालतनामा प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण प्रकरण में पैरवी करने के उसके अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, केवल उसके द्वारा नया वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 47 में समयु–सीमा का प्रावधान है, अतः विलम्ब क्षमा करने हेतु संहिता की धारा 47 के अंतर्गत भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1979 में मुक्तिनामा के आधार पर नामांतरण किया गया है, जबकि मुक्तिनामा का पंजीयन होना आवश्यक है, और अपंजीकृत मुक्तिनामा से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इस आधार पर कहा गया कि बिना स्वत्व अर्जन के पारित नामांतरण आदेश पूर्णतः क्षेत्रिाधिकार रहित आदेश है, और क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण पंजी पर अनावेदक के पिता के हस्ताक्षर नहीं हैं । यह भीं तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में गुण–दोष पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाता है, तब इसमें आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ।

अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत 2006 आर.एन. 135 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक सहित हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है, जबकि संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 27 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दी जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोष पर आदेश पारित करने के पूर्व इस वैधानिक स्थिति पर विचार करना चाहिए था कि पंजी पर जो नामांतरण हुआ है, वह कहीं सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए तो नहीं किये गये हैं, क्योंकि पंजी पर और भी अंतरण इन्हीं भूमिस्वामियों में से हुए हैं । इसके अतिरिक्त आवेदक पूर्व में अनावेदक का मुख्त्यारआम भी रहा है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस निर्देश के साथ स्थिर रखा जाता है कि वे गुण–दोष पर आदेश पारित करने के पूर्व उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर